[2021] 10 एस. सी. आर 330

गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

बनाम

नारायण @नारायण साई @मोता भगवान आसाराम @आसुमल हरपलानी

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1159)

20 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियम: फर्लो पर रिहाई प्रतिवादी को एस. एस. के तहत दोषी ठहराया गया था। 376 (2) (ग) आई. पी. सी. की धारा 377,354,504,506 (2), 508-8 मई 2021 के आदेश द्वारा, प्रतिबंध प्राधिकरण द्वारा फर्लो के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी जेल के अंदर अवैध गतिविधियों में शामिल था, जिसमें मोबाइल फोन रखना और जेल के बाहर संपर्क करना शामिल था; गवाहों को धमकी देकर, उन पर हमला करके और उनकी हत्या करके मुकदमे के दौरान न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के लिए आपराधिक दुराचार में लिप्त है; और यदि प्रतिवादी को फर्लो पर रिहा किया जाता है, तो मूल मुकदमे में गवाहों के जीवन को खतरे में डाला जाएगा। 482 के लिए सीआरपीसी

8 मई 2021 के आदेश को दरकिनार करते हुए-पीड़ित राज्य ने तत्काल अपील दायर की-आयोजित: नियमों के आर. 4 (4) में सार्वजनिक शांति और शांति को बाधित करने के आधार पर छुट्टी से इनकार करने का प्रावधान है-8 मई 2021 के आदेश में कई परिस्थितियों को जोड़ा गया है जो संचयी रूप से संकेत देते हैं कि उत्तरदाता की रिहाई

फर्लो से सार्वजनिक शांति का उल्लंघन हो सकता है-आदेश विशेष रूप से उनके और उनके अनुयायियों के लिए उत्पन्न खतरे को संदर्भित करता है

शिकायतकर्ता और मुकदमे में गवाही देने वाले अन्य व्यक्ति-जांच दल को धमकाने और अपमानित करने का प्रयास किया गया था और गवाह प्रतिवादी और उसके पिता के पास ऐसे व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या है जो उनके प्रति वफादार हैं और एक उचित तर्क था।

सार्वजनिक शांति और शांति में व्यवधान की आशंका -

मुकदमे के दौरान, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के प्रयास किए गए-मुकदमे के बाद, जेल में, आचरण को निंदा से ऊपर नहीं दिखाया गया था इसलिए, नियमों के तहत मंजूरी देने वाले प्राधिकरण की राय विकृति से ग्रस्त नहीं थी और न ही उसने फर्लो के अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों के लिए सामग्री को बाहरी माना।

330 गुजरात राज्य और ए. एन. आर. वी. नारायण @NARAYAN साई @मोता भगवान

बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियमः आरआर। 3 , 4 , 17 - कैदी का फर्लो का अधिकार-आयोजितः आरआर। 3,4 और 17 एक कानूनी प्रदान नहीं करते हैं

एक कैदी को फर्लो पर रिहा करने का अधिकार। फर्लो का अनुदान आर द्वारा विनियमित किया जाता है। 3 और आर। 4 – जबकि आर। 3 विभिन्न अवधि की सेवा करने वाले कैदियों के लिए फर्लो देने के लिए पात्रता मानदंड प्रदान करता है

कारावास, आर. 4 सीमाएँ लगाता है-आर में "जारी किया जा सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग। 3 यह एक पूर्ण अधिकार की अनुपस्थिति को इंगित करता है इस पर आर में और जोर दिया गया है। 17 जिसमें कहा गया है कि उक्त नियम एक कैदी को फर्लो पर रिहाई का दावा करने का कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं-इस प्रकार, फर्लो पर रिहाई का अनुदान आरआर द्वारा सीमित एक विवेकाधीन उपाय है। 3 और 4.

फर्लो और पैरोल-के बीच अंतर-आयोजितः फर्लो और पैरोल में हिरासत से अल्पकालिक अस्थायी रिहाई की परिकल्पना की गई है-जबकि कैदी को एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैरोल दी जाती है, बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की सेवा के बाद फर्लो दी जा सकती है-फर्लो का अनुदान कारावास की एकरसता को तोड़ने और दोषी को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए है।

पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता और समाज के साथ एकीकरण-हालांकि

फर्लो का दावा बिना किसी कारण के किया जा सकता है, कैदी को फर्लो का दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है - फर्लो को जनहित के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए और कुछ श्रेणियों के कैदियों को मना किया जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियमों के नियम 3,4 और 17 को पढ़ने से, ये नियम कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

एक कैदी को फर्लो पर रिहा करने का अधिकार। का अनुदान फर्लो को नियम 3 और नियम 4 द्वारा विनियमित किया जाता है। जबकि नियम 3 सेवारत कैदियों के लिए फर्लो देने के लिए पात्रता मानदंड प्रदान करता है।

कारावास की अलग-अलग अवधि, नियम 4 सीमाएँ लगाता है।

नियम 17 में कहा गया है कि उक्त नियम कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। एक कैदी पर फर्लो पर रिहाई का दावा करने के लिए। इस प्रकार अनुदान

फर्लो पर रिहाई एक विवेकाधीन उपाय है जिसके द्वारा सीमित किया गया है

नियम 3 और 4। [पैरा 15] [346-ए-सी]

2. सिद्धांतों को व्यापक, सामान्य शब्दों में इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा सकता है कि पैरोल [2021] 10 एस. सी. आर. के लिए शासी नियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और फर्लो को प्रत्येक संदर्भ में लागू करना होगा। सिद्धांत इस प्रकार हैं: फर्लो और पैरोल में हिरासत से अल्पकालिक अस्थायी रिहाई की परिकल्पना की गई है; जबकि पैरोल कैदी को एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी जाती है, फर्लो के बाद दी जा सकती है।

बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की सेवा की गई है; फर्लो का अनुदान कारावास की एकरसता को तोड़ने और दोषी को पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता और समाज के साथ एकीकरण बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए है; हालांकि फर्लो का दावा बिना किसी कारण के किया जा सकता है, कैदी को फर्लो का दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है; फर्लो का अनुदान सार्वजनिक हित के खिलाफ संतुलित होना चाहिए और कैदियों की कुछ श्रेणियों को अस्वीकार किया जा सकता है। [पैरा 20] [350-सी]

3. प्रतिवादी के फर्लो आवेदन को डी. जी. पी. द्वारा 8 मई 2021 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। डी. जी. पी. ने भरोसा किया

ए. सी. पी., डी. सी. पी. और जेल अधीक्षक की समवर्ती राय, निम्नलिखित के आधार पर, फर्लो देने से इनकार करने के लिए

प्रतिवादी, मुकदमे के दौरान, जिसमें सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास शामिल है; प्रतिवादी के अनुयायियों द्वारा गवाहों को धमकी देना, उन पर हमला करना और उनकी हत्या करना; पुलिस अधिकारियों को धमकी देना और आयकर विभाग के निरीक्षक; के इशारे पर अपराध करने के इच्छुक प्रतिवादी का सामूहिक अनुसरण

प्रतिवादी; और हिरासत में रहते हुए अवैध गतिविधियाँ, जैसे कि मोबाइल फोन रखना और बाहरी लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना। [पैरा 21] [350-जी-एच; 351-ए-सी]

शांति को फर्लो के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है। नियम 4 (6) में फर्लो अवकाश की अस्वीकृति का प्रावधान है जहां कैदी संतोषजनक नहीं है और नियम 4 (10) में प्रावधान है कि जो कैदी भाग गए हैं, या कानूनी हिरासत से भागने का प्रयास किया है या आत्मसमर्पण करने में चूक की है, वे फर्लो के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता है कि प्रतिवादी ने गुजरात और ए. एन. आर. का कोई राज्य बनाया है।

वी. नारायण @NARAYAN साई @मोता भगवान

वैध अभिरक्षा से बचने के प्रयास। दिसंबर 2020 में फर्लो की मंजूरी और 31 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक अंतरिम जमानत के बाद, प्रतिवादी ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को छुट्टी देने से इनकार करने के लिए नियमों के नियम 4 (10) पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। [पैरा 23,24] [351-ई-जी]

5. अब नियमों के नियम 4 (6) की ओर रुख करते हुए, जेल अधीक्षक ने इस तथ्य के आधार पर एक नकारात्मक राय दी है कि प्रतिवादी ने जेल के अंदर अवैध रूप से एक मोबाइल फोन रखा था और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बनाने का प्रयास किया था। नियमों के नियम 4 (4) में सार्वजनिक शांति और शांति को बाधित करने के आधार पर छुट्टी से इनकार करने का प्रावधान है। 8 मई 2021 के आदेश में कई परिस्थितियों को जोड़ा गया है जो

संचयी रूप से संकेत देते हैं कि फर्लो पर प्रतिवादी की रिहाई से सार्वजनिक शांति का उल्लंघन हो सकता है। आदेश विशेष रूप से उस खतरे को संदर्भित करता है जो वह और उनके अनुयायी उत्पन्न करते हैं

शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्ति जिन्होंने मुकदमे में गवाही दी। जाँच दल और गवाहों को धमकाने और अपमानित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्यर्थी और उसके पिता के बड़े पैमाने पर ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके प्रति वफादार हैं और सार्वजनिक शांति में व्यवधान की उचित आशंका है और शांति। मुकदमे के दौरान रिश्वत देने का प्रयास किया गया है

सरकारी अधिकारी। मुकदमे के बाद जेल में आचरण को निंदा से ऊपर नहीं दिखाया गया है। प्रतिवादी को इस साल की शुरुआत में संबंधित समय पर अपनी माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करने की वास्तविक आवश्यकता को समायोजित करने के लिए रिहा कर दिया गया था। यह निवेदन कि 8 मई 2021 के आदेश में उल्लिखित आपत्तियां अधिकारियों द्वारा दिसंबर 2020 में फर्लो के अनुदान के लिए उठाई गई थीं, जिसके बावजूद उच्च न्यायालय ने फर्लो के लिए याचिका की अनुमति दी, बेमानी है। उच्च न्यायालय के पिछले आदेश में इन दलीलों पर विचार नहीं किया गया था। आदेश में केवल इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी की मां हृदय गति रुकने के कारण पीड़ित थीं और इस आधार पर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। नियमों के तहत मंजूरी देने वाले प्राधिकरण की राय विकृति से ग्रस्त नहीं है और न ही यह फर्लो के अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों के लिए सामग्री को बाहरी मानता है। [पारस 25,26] [351-एच; 352-ए-एफ]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। सुरेश पांडुरंग दरवाकड़ (2006) 4 एस. सी. सी. 776: [2006] 3 एससीआर 1128; असफाक बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान (2017) 15 एस. सी. सी. 55: [2017] 11 एससीआर 571;

हरियाणा राज्य बनाम। मोहिंदर सिंह (2000) 3 एस. सी. सी. 394

: [2000] 1 एस. सी. आर. 698 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 10 (iv) और 16

[2006] 3 एससीआर 1128

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 और 19

[2017] 11 एससीआर 571

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 एससीआर 698

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का सं. 1159।

उच्च न्यायालय के 24.06.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के आर/विशेष आपराधिक आवेदन No.5199 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार द्वारा।

तुषार मेहता, एस. जी., कानू अग्रवाल, अनिरुद्ध पी. मयी, अधिवक्ता।

अपीलार्थियों के लिए।

संजीव पुनालेकर, सुविदत्त एम. एस., अंकुश महाजन, धर्म राज,

श्रीमती अनु बी., सुश्री विजयलक्ष्मी राजू, श्रीमती धन्य सी., अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. अपील एकल न्यायाधीश के फैसले से उत्पन्न होती है

गुजरात उच्च न्यायालय दिनांक 24 जून 2021। एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी को छुट्टी पर रिहा करने का निर्देश दिया।

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. एक एफ. आई. आर. सी. आर. नं. आई-31/2013, के खिलाफ दर्ज किया गया था

फ्रेम किया गया। मुकदमे के समापन पर, सत्र न्यायालय ने एक निर्णय द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2019 ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया। दोषसिद्धि और सजा का सारांश नीचे दिया गया है:

((i)

धारा 376 (2): जुर्माने के साथ आजीवन कारावास

रु. 1,00,000 / - , और चूक में, एक का साधारण कारावास

वर्ष;

1 " आई. पी. सी. "गुजरात और ए. एन. आर. का राज्य। वी. नारायण @नारायण साई @मोता भगवान [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 377: जुर्माने के साथ आजीवन कारावास

((ख)

रु. 1,00,000 / - , और चूक में, एक का साधारण कारावास वर्ष;

धारा 354: एक साथ तीन साल का कठोर कारावास

(iii)

रुपये के जुर्माने के साथ। 25,000 / - , और चूक में, छह महीने का साधारण कारावास;

((iv) धारा 504: साथ में एक साल का कठोर कारावास

रुपये का जुर्माना। 5,000 / - , और डिफ़ॉल्ट रूप से सरल कारावास में

तीन महीने;

धारा 506 (2): एक साथ तीन साल का कठोर कारावास

(v)

रुपये के जुर्माने के साथ। 5,000 / - और चूक में, साधारण कारावास

एक महीने का;

(vi) धारा 508: रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की कठोर कारावास। 5,000 / - और चूक में, एक महीने का साधारण कारावास;
(vii) धारा 323: रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने की कठोर कारावास। 500 / - और डिफ़ॉल्ट रूप से, साधारण कारावास

एक महीना;

प्रत्यर्थी को रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। 5,00,000 / - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 (3) के तहत अभियोजक को। सभी वाक्य थे

समवर्ती रूप से दौड़ने का निर्देश दिया।

3. प्रतिवादी को 16 अप्रैल 2015 को तीन सप्ताह की अवधि के लिए और 15 फरवरी 2019 को दो दिनों की अवधि के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा किया गया था। उच्च न्यायालय के 2 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को 5 दिसंबर 2020 से चौदह दिनों की अवधि के लिए छुट्टी दे दी गई थी। अपनी माँ के खराब स्वास्थ्य के कारण, प्रतिवादी को 31 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक अस्थायी जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

4. 17 मार्च 2021 को, प्रतिवादी ने 2 के लिए एक आवेदन दायर किया।

सूरत लाजपोर केंद्रीय कारागार के माध्यम से छुट्टी। 8 मई 2021 को पुलिस महानिदेशक, जेल और सुधारात्मक प्रशासन 3 द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था। डी. जी. पी. ने आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि:

((i)

जेल अधीक्षक ने इस पर नकारात्मक राय दी थी प्रत्यर्थी के रूप में फर्लो आवेदन अवैध रूप से संलग्न था

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मोबाइल फोन रखने सहित जेल के अंदर की गतिविधियाँ और जेल के बाहर संपर्क करना;

यदि प्रतिवादी को छुट्टी पर रिहा किया जाता है तो वह कानून और व्यवस्था का उल्लंघन कर सकता है। फर्लो की मंजूरी पर सहायक पुलिस आयुक्त + की राय मांगी गई थी और उन्होंने निम्नलिखित कारणों से आपत्तियां उठाई थीं:

(क) अपराध की जाँच के दौरान, पुलिस उपायुक्त ने प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए एक दल का मार्गदर्शन किया था और उसके आधिकारिक प्रकोष्ठ का खुलासा किया था।

जनता से उनके ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मीडिया को फोन विवरण

उत्तरदाता। 16 अक्टूबर 2013 और 18 अक्टूबर 2013 को डीसीपी को एक व्यक्ति के फोन आए।

प्रतिवादी का 'साधक' होने का दावा करते हुए, डीसीपी को धमकी दी कि अगर वह प्रतिवादी की तलाश जारी रखती है तो वह उसे मार देगा। जाँच में पता चला कि वह मध्य प्रदेश का निवासी था और

उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की गई। सूरत में आश्रम के प्रशासक ने दौरा किया

(ख)

प्रत्यर्थी और प्रत्यर्थी ने उसे रुपये की रिश्वत देने के लिए अपनी लिखावट में एक चीट दी। 1 एक करोड़। आश्रम के प्रशासक और अन्य लोगों ने प्रतिवादी के खिलाफ मामले को कमजोर करने के लिए पुलिस अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत दी। इन लोगों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। यदि प्रत्यर्थी को छुट्टी पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह

इस तरह के आक्रामक कार्यों को जारी रखें;

शिकायतकर्ता का मनोबल तोड़ने के लिए, उसे

((ग)

मुकदमे में गवाह रहे पति पर 28 फरवरी 2014 को घातक हथियार से हमला किया गया था। ए. शिकायत, आई. सी. आर. सं. 50/2014, प्रतिवादी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307 और 188 के तहत दर्ज की गई थी। जबकि इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वे एक विशाल ए. आर. ए. टी. और ए. एन. आर. को आकर्षित करना जारी रखते हैं।

वी. नारायण @NARAYAN साई @वैन [डी. आर.] धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

भारत में अनुयायियों की भीड़ और भविष्य में आपत्तिजनक कृत्य कर सकते हैं। प्रतिवादी शिकायतकर्ता के पति या अन्य गवाहों को धमकी भी दे सकता है यदि उसे छुट्टी पर रिहा कर दिया जाता है।

आई. सी. आर. सं. 31/2014, आई. पी. सी. की धारा 324 और 114 और गुजरात पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक राकेश पर हमला करने और घायल करने के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी।

आसाराम मामले में एक गवाह, जयंतीलाल पटेल, 10 मार्च 2014 को अपने सिर पर एक हथियार के साथ;

एक शिकायत, आई. सी. आर. सं. 69/2014, दो व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307,326 (ए) और 114 के तहत दर्ज की गई थी, जिन्होंने आसाराम मामले में एक गवाह दिनेश भागचंदानी पर 16 मार्च 2014 को तेजाब फेंककर और उसकी हत्या का प्रयास करके हमला करने और घायल करने के लिए आसाराम के साधकों होने का दावा किया था। आई. सी. आर. सं. 133/2014, आई. पी. सी. की धारा 307, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 (1) (ए) (बी) और 27 और गुजरात पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 (1) के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी।

आसाराम मामले में गवाह, 23 मई 2014 को गोली मारकर

मौत का कारण बनने के इरादे से एक रिवॉल्वर। गवाह को गंभीर चोट लगी और इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उपचार;

15 फरवरी 2014 को जेल में। इस प्रकार, प्रतिवादी की भागीदारी की संभावना है इन अपराधों को करना;

प्रतिवादी के खिलाफ मामले में एक गवाह महेंद्र चावला पर हमला करने के लिए आईपीसी की धारा 307,452,120बी और 34 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 (1) (ए) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रतिवादी उक्त घटना में निष्क्रिय रूप से शामिल था; और [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के खिलाफ मामले की जांच के संबंध में

((i)

प्रतिवादी, असाधक के फ्लैट से 42 थैले जब्त किए गए। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बैग आयकर विभाग को सौंप दिए गए

विभाग। आय द्वारा छापेमारी की गई थी

साधकों के रहने पर कर विभाग

देश और करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। इनमें से अधिकांश निवेश प्रतिवादी और उसके पिता आसाराम की ओर से किए गए थे। जाँच के दौरान एक इंस्पेक्टर को धमकी दी गई थी

हत्या किए जाने और शिकायत दर्ज की गई;

((iv) वर्तमान डी. सी. पी. ए. सी. पी. की उपरोक्त राय से सहमत थे।

प्रतिवादी, उसके आपराधिक नेटवर्क और उसके अनुयायियों के आचरण को देखते हुए, डी. सी. पी. ने फर्लो देने पर आपत्ति जताई।

उसे:

प्रतिवादी को दिसंबर 2020 में छुट्टी दे दी गई थी।

(v)

उसकी बीमार माँ के कारण। फर्लो उच्च न्यायालय की अनुमति से दिया गया था; और

(vi) प्रत्यर्थी का पहला फर्लो छुट्टी आवेदन था

2019 में बर्खास्त किया गया। उक्त आवेदन के जवाब में भी ए. सी. पी. ने छुट्टी नहीं देने के लिए नकारात्मक राय दी थी, जिसकी पुष्टि तत्कालीन डी. सी. पी. ने की थी। द.

पहले फर्लो छुट्टी आवेदन को अस्वीकार करने के कारण हैं

ऊपर दिए गए उत्पादों के समान।

5. उपरोक्त राय के आधार पर, डी. जी. पी. ने अनुदान को अस्वीकार कर दिया

निम्नलिखित कारणों से:

प्रतिवादी पर बलात्कार के हाई प्रोफाइल मामलों का आरोप है

(1)

और धाराओं के प्रावधानों के तहत दंडनीय अत्याचार

376 (2) (ग) आई. पी. सी. की धारा 377,354,504,506 (2), 508;

((ख)

एसीपी और डीसीपी की राय से संकेत मिलता है कि इसके अलावा मुख्य अपराध के लिए, प्रतिवादी द्वारा मुकदमे के दौरान न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के लिए आपराधिक कदाचार में लिप्त है

गवाहों को धमकी देना, उन पर हमला करना और उनकी हत्या करना।

(iii)

गवाहों पर लगातार हमले दर्ज किए गए हैं

प्रत्यर्थी के अनुयायियों और सात अपराधों

उसके खिलाफ दर्ज किया गया; गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

((iv)

इन सात अपराधों में से एक की निगरानी आई. पी. एस. द्वारा की जा रही है।

अधिकारी, शोभा भुटाडा, जिन्हें धमकी दी गई है

प्रत्यर्थी के अनुयायी;

(v)

फर्लो के अनुदान के लिए विचार किया गया। उसके हजारों प्रमुख अनुयायियों का एक समूह है, जो देश भर में फैले हुए हैं, जो इस उदाहरण पर अपराध करने के लिए तैयार हैं। प्रत्यर्थी का;

(vi)

यदि प्रत्यर्थी को छुट्टी पर रिहा कर दिया जाता है, तो उसका जीवन

मूल मुकदमे में गवाहों को धमकी दी जाएगी। प्रतिवादी न्यायिक कार्यवाही को बाधित कर सकता है क्योंकि

उसके विरुद्ध लंबित सात अपराधों का अभियोजन; और

(vii) प्रतिवादी खतरनाक गतिविधियों में संलग्न है -

संगठित अपराध और व्यक्तियों का एक नेटवर्क है और एक वित्तीय

पृष्ठभूमि.

6. प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया

8 मई 2021 के आदेश को दरकिनार करते हुए। उत्तरदाता ने भरोसा किया

जेल (बॉम्बे फर्लो और पैरोल) नियम 596 के नियम 3 (2) का प्रावधान और आग्रह किया कि आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को हर दो साल के बजाय हर साल फर्लो पर ढील दी जा सकती है।

सात साल की कैद काटता है। यह भी कहा गया कि

लॉफ लीव अधिकार के रूप में दी जाती है।

7. प्रत्यर्थी के आवेदन की अनुमति देते हुए, एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने कहा कि:

डी. जी. पी. द्वारा फर्लो देने से इनकार करने के कारण

((i)

उच्च न्यायालय द्वारा 2 दिसंबर 2020 के अपने पिछले आदेश में विचार किया गया था, जिसके अनुसार प्रतिवादी

दो सप्ताह की अवधि के लिए छुट्टी पर रिहा किया गया था;

प्रतिवादी के आने के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई

((ख)

दिसंबर 2020 में रिहा किया गया और प्रतिवादी ने फर्लो की अवधि के दौरान उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया;

हालाँकि प्रतिवादी आपराधिक गतिविधियों में शामिल था

(iii)

इससे पहले, तब से कोई अवैध गतिविधि की सूचना नहीं मिली है

उत्तरदाता को दिसंबर 2020 में रिहा किया गया था;

ओम्बे फर्लो और पैरोल नियम "या" नियम "[2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iv) डी. जी. पी. द्वारा दिए गए कारण पहले ही बताए जा चुके हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है और उचित नहीं हैं या

न्यायसंगत;

(v)

प्रतिवादी कुछ समय से कारावास में है।

साढ़े सात साल। बॉम्बे फ़र्लो और पैरोल नियमों के तहत, वह हर बार फ़र्लो छुट्टी का हकदार है। वर्ष।

8. उपरोक्त कारणों के आधार पर, एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी को पुलिस अनुरक्षण के साथ छुट्टी पर रिहा करने की अनुमति दी।

रुपये के व्यक्तिगत मुचलके के निष्पादन पर उनकी रिहाई की तारीख से चौदह दिनों की अवधि। 1,00,000 / - जेल प्राधिकरण के समक्ष और अन्य शर्तें जो प्राधिकरण उचित समझे। प्रतिवादी को अहमदाबाद में अपनी माँ के निवास पर रहना था और उसे अपनी छुट्टी समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। अतिरिक्त जनता के अनुरोध पर

अभियोजक, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने तीन सप्ताह की अवधि के लिए विवादित आदेश पर रोक लगा दी। 6 अगस्त 2021 के एक आदेश द्वारा, विवादित आदेश के कार्यान्वयन पर 13 अगस्त 2021 तक रोक लगा दी गई थी। 9. इस आदेश के खिलाफ गुजरात राज्य द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। 12 अगस्त 2021 को हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने इस पर रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।

बी प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

10. उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार करते हुए गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

((i)

बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियमों के नियम 3 और 4 यह इंगित करता है कि फर्लो को अधिकार के रूप में यांत्रिक रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है। नियम 3 कैदी को छुट्टी पर रिहा करने का विकल्प बनाता है और उक्त नियम नियम के अधीन है।

4 ;

((ख)

बॉम्बे के नियम 4 के उप-नियम 4,6 और 10 के तहत

फर्लो और पैरोल नियम, ऐसे कैदी जिनकी रिहाई की पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक शांति और शांति के आधार पर सिफारिश नहीं की जाती है; ऐसे कैदी जिनका आचरण राय में संतोषजनक नहीं है।

7 एसएलपी (सीआरएल) 2021 एफ गुजरात और ए. एन. आर. का सं. 5699।

वी. नारायण @NARAYAN साई @भगवान [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जेल के अधीक्षक; और ऐसे कैदी जो भाग गए हैं या हिरासत से भागने का प्रयास किया है या जिन्होंने

पैरोल या फर्लो पर रिहाई के बाद आत्मसमर्पण करने में चूक करने पर, फर्लो पर रिहाई के लिए विचार नहीं किया जाएगा;

बॉम्बे फर्लो एंड पैरोल नियमों के नियम 17 में प्रावधान है कि नियम कैदी को कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं -

फर्लो पर रिहाई का दावा करें;

महाराष्ट्र राज्य में v. सुरेश पांडुरंग द्वारवाकर इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामलों में फर्लो से इनकार किया जा सकता है जहां सार्वजनिक शांति और शांति की चिंताएं हैं।

फर्लो को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह समाज के हित में नहीं है जैसा कि असफाक v में आयोजित किया गया है। राजस्थान राज्य;

मामले के तथ्य अपराध की स्थूल प्रकृति का संकेत देते हैं, जो प्रतिवादी को किसी भी विवेकाधीन राहत के लिए अयोग्य ठहराता है। डी. जी. पी. ने नोट किया है कि प्रतिवादी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया था; शिकायतकर्ता के पति और अन्य गवाहों को चोट पहुंचाई थी; हत्या की धमकी दी थी। पुलिस निरीक्षक और आयकर का एक निरीक्षक

विभाग; और न्यायिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने का प्रयास किया; 2 दिसंबर 2020 के अपने पिछले आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता गलत है क्योंकि आदेश में फर्लो से इनकार करने पर अधिकारियों की आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया था। नियम 3 के तहत फर्लो का अनुदान बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियमों के नियम 4 के अधीन है जो

अनुदान के लिए अधिकारियों की राय को महत्व देता है

फर्लो। जब तक कि यह व्यक्तिपरक संतुष्टि अधिकारी, जो न्यायिक समीक्षा के लिए अतिसंवेदनशील हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, छुट्टी नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा है,

न तो 2 दिसंबर 2020 के अपने पिछले आदेश में और न ही

फर्लो के अनुदान के खिलाफ अधिकारियों की आपत्तियों की शुद्धता; और फर्लो का उद्देश्य कैदी को मिलने में सक्षम बनाना है।

परिवार को समाज के साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है। भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि कैदी एक फर्लो का हकदार है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सात साल की सजा काटने के बाद एक साल में चौदह दिन, इस मामले में प्रतिवादी को 2 दिसंबर 2020 को फर्लो दिया गया था और 31 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक अंतरिम जमानत दी गई थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को जुलाई 2021 के महीने में फिर से छुट्टी नहीं दी जा सकती है।

11. सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का विरोध करते हुए, श्री संजीव

प्रत्यर्थी के वकील लेकर ने आग्रह किया कि:

((i)

5 मई 2021 को, प्रतिवादी के पिता, आसाराम बापू,

कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया और मल्टीपल कोलोनिक डाइवर्टिक्युलोसिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव से पीड़ित है। 16 पर फरवरी 2021 में, प्रतिवादी के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ यह पाया गया कि उन्हें अस्थिर एनजाइना या तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम का दौरा पड़ा था। प्रतिवादी के पिता 11 प्रमुख पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं और जून 2021 में सेप्टिक शॉक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित थे।

((ख)

उत्तरदाता के पिता के आसपास परिवार का कोई सदस्य नहीं है।

और उसकी हालत गंभीर है। प्रत्यर्थी अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रतिवादी की माँ भी गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी बेटी उनकी देखभाल कर रही है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को लेने के लिए फर्लो पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

अपने पिता की चिकित्सा देखभाल और उपचार की देखभाल;

प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील और

(iii)

सजा के निलंबन के लिए आवेदन लंबित हैं

उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई;

((iv) प्रतिवादी को अस्थायी जमानत पर रिहा कर दिया गया है और

चार मौकों पर छुट्टी दी गई और उनकी रिहाई के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

(v)

फर्लो लीव अधिकार का मामला है और इसे दिया जाता है।

समय-समय पर कैदियों के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए

उनके परिवार;

(vi) वर्तमान मामले के अलावा, प्रतिवादी दो आपराधिक मामलों में आरोपी है और उसे दोनों मामलों में जमानत दी गई है।

मामले;

(vii) आदेश में उल्लिखित अन्य अपराधों के संबंध में

दिनांक 8 मई 2021 को, प्रत्यर्थी हमलों से जुड़ा नहीं है, उसका नाम एफ. आई. आर. एस. में उल्लेख नहीं किया गया है और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रत्यर्थी गुजरात और ए. एन. आर. का शिकार है।

वी. नारायण @NARAYAN SAI @IOTA भागवान [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उन मामलों में अभियुक्तों से जुड़ा हुआ। चूंकि उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए धमकी देने का कोई सवाल ही नहीं है गवाहों को;

(viii) जेल अधीक्षक द्वारा प्रतिवादी को फर्लो देने के लिए संदर्भित उल्लंघन मामूली हैं और एक बार रिहा होने के बाद प्रतिवादी के व्यवहार से उनका कोई संबंध नहीं है।

फर्लो पर;

(ix) फर्लो और पैरोल के बीच का अंतर यह है कि कैदियों को सजा की एक निर्दिष्ट अवधि से गुजरने के बाद फर्लो दिया जाता है, पैरोल एक सशर्त है।

अच्छे आचरण के आधार पर अस्थायी रिहाई

स्थितिगत राहत; और

(x)

बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियमों के नियम 3 (2) में प्रावधान है

कि आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को सात साल का कारावास पूरा करने के बाद "हर साल" छुट्टी पर रिहा किया जा सकता है। वाक्यांश "हर साल" होना चाहिए

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अर्थ में व्याख्या की गई।

12. दलों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हुए, हम

अब हाथ में मुद्दे को संबोधित करें।

सी विश्लेषण

13. बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियम इसके अनुसार बनाए गए थे।

कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 राज्य में लागू होती है।चूहा। कारागार अधिनियम 1894 की धारा 59 की उप-धारा 5 के तहत, सरकार अंक देने और अंक कम करने के लिए नियम बना सकती है। उप-धारा 59 की धारा 28 भी शक्ति प्रदान करती है

सरकार उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएगी

14. बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियमों के नियम 3 में कैदियों को फर्लो देने का प्रावधान है और यह इस प्रकार है:

" 3. कब कैदी को छुट्टी दी जा सकती है।

(1) एक कैदी, जिसे एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, उसे वास्तविक कारावास के प्रत्येक वर्ष के लिए एक बार में दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो पर रिहा किया जा सकता है।

(2) एक कैदी, जिसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है

पाँच साल से अधिक की अवधि को [2021] 10 एस. सी. आर. के लिए छुट्टी पर जारी किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सात साल पूरे करने के बाद हर दो साल के बजाय वास्तविक कारावास।

नोट 1: इस नियम में कारावास की अवधि में शामिल हैं -

राशि के मामले में जुर्माने के बदले दी गई सजा या सजा जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है।

कुल सजा को घटाकर 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कर दिया जाता है। इसके बाद उप-नियम के अनुसार रिहाई के लिए पात्र होंगे।

(1) उप-नियम (2) के तहत हर दो साल के बजाय।

नोट 2: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कारावास की अवधि

गणना कुल अवधि के रूप में की जाएगी जिसके लिए एक कैदी है

सजा भले ही एक या अधिक सजाएं समवर्ती हों।

नोट 3: यदि किसी भी समय एक कैदी जिसे दिया जा सकता था

आगे बढ़ेगा लेकिन खत्म हो जाएगा। नोट 4: शुरू में दो सप्ताह की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

छुट्टी बिताने की इच्छा रखने वाले कैदियों के मामले में तीन सप्ताह

बॉम्बे राज्य के बाहर।

नोट 5: फर्लो पर एक कैदी की रिहाई को मंजूरी देने वाला आदेश

यदि दो की अवधि के भीतर प्रभाव नहीं दिया जाता है तो यह वैध नहीं रहेगा।

उसकी तारीख के महीने। "

(जोर दिया गया)

नियम 4 आगे उन शर्तों को निर्धारित करता है जब छुट्टी नहीं होगी

एड:

" 4. जब कैदियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी।

निम्नलिखित श्रेणियों के कैदियों पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्लो पर रिलीज:

गुजरात और ए. एन. आर. वी. नारायण @NARAYAN SAI @IOTA भागवान [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(1) आदतन कैदी।

(3) बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कैदी (4) जिन कैदियों की रिहाई की सिफारिश ग्रेट बॉम्बे में पुलिस आयुक्त और अन्य जगहों पर नहीं की जाती है, सार्वजनिक शांति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट और

शांति। (5) कैदी जो जेल अधीक्षक की राय में अपराध के प्रति प्रवृत्ति दिखाते हैं।

(6) कैदी जिनका आचरण जेल अधीक्षक की राय में है, पर्याप्त संतोषजनक नहीं है। (7) रत्नागिरी विशेष जेल में बंद कैदी [जेल सेवाओं के लिए उस जेल में स्थानांतरित किए गए कैदियों के अलावा]।

(8) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ हिंसा के अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदी, जब तक कि ऐसी रिहाई के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त न हो।

वैध अभिरक्षा से बचने के लिए या फर्लो पर पैरोल पर रिहा होने के बाद उचित समय पर आत्मसमर्पण करने में किसी भी तरह से चूक की है। (11) नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदी।

(जोर दिया गया)

नियमों के नियम 17 में फर्लो के अनुदान की प्रकृति को स्पष्ट किया गया है: " इन नियमों में कुछ भी कैदी को फर्लो पर रिहाई का दावा करने का कानूनी अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाएगा।

(जोर दिया गया)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि बॉम्बे फर्लो और पैरोल नियम किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

कैदी को फर्लो पर रिहा किया जाना। फर्लो का अनुदान नियम 3 और नियम 4 द्वारा विनियमित किया जाता है। जबकि नियम 3 कारावास की विभिन्न अवधि की सेवा करने वाले कैदियों के लिए फर्लो देने के लिए पात्रता मानदंड प्रदान करता है, नियम 4 सीमाएं लगाता है। नियम 3 में "जारी किया जा सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग एक पूर्ण अधिकार के अभाव को इंगित करता है। यह आगे है

नियम 17 में जोर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि उक्त नियम एक कैदी को फर्लो पर रिहाई का दावा करने का कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार फर्लो पर रिहाई का अनुदान नियम 3 और 4 द्वारा सीमित एक विवेकाधीन उपाय है।

ऊपर निकाला गया।

16. इन नियमों की प्रयोज्यता पर दो लोगों द्वारा विचार किया गया था

महाराष्ट्र राज्य बनाम में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। सुरेश पांडुरंग द्वारवकर 1 0। पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने कहा कि:

न्यायालय ने कारागार (बॉम्बे फर्लो और पैरोल) नियम, 1959 (संक्षेप में "नियम") के नियम 4 (4) और 6 को ध्यान में नहीं रखा है। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम बनाए गए हैं। कारागार अधिनियम , 1894 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 59 के खंड (5) और (28) को महाराष्ट्र राज्य में लागू करते हुए, जो उस समय था। अभिव्यक्ति "फर्लो प्रणाली" को खंड में परिभाषित किया गया है।

(5 - ए) अधिनियम की धारा 3 की, जबकि "पैरोल प्रणाली" अभिव्यक्ति को उक्त प्रावधान के खंड (5-बी) में परिभाषित किया गया है। "पैरोल" और "फर्लो" से संबंधित नियमों का अंतर्निहित उद्देश्य है

अखिल भारतीय जेल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है नियमावली समिति और मॉडल में उल्लिखित उद्देश्य

जेल नियमावली। "फर्लो" और "पैरोल" में दो हैं।

अलग-अलग उद्देश्य। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कैदी को फर्लो पर रिहा करते समय, लेकिन पैरोल के मामले में

नियम 19 के संदर्भ में कारणों का संकेत दिया जाना चाहिए। लेकिन रिहा करें।

फर्लो पर एक पूर्ण अधिकार नहीं कहा जा सकता है

कैदी को नियम 17 से निकाला गया है। यह विषय है कि

नियम 4 (4) और 6 में उल्लिखित शर्तें। फर्लो की अनुमति है

किसी विशेष कारण की परवाह किए बिना समय-समय पर नियम 3 के तहत केवल कैदी को पारिवारिक संबंध, पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाने में सक्षम बनाने और निरंतर जेल जीवन के दुष्प्रभाव से बचने के उद्देश्य से। फर्लो की अवधि को जेल में बिताए गए समय के रूप में माना जाता है।

10 (2006) 4 एस. सी. सी. 776 गुजरात राज्य और ए. एन. आर. वी. नारायण @NARAYAN साई @मोता भगवान [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

लेकिन नियम 20 से पता चलता है कि पैरोल पर बिताई गई अवधि को नहीं गिना जाना चाहिए

सजा की माफी के रूप में। चूँकि फर्लो नहीं के लिए दिया जाता है

विशेष कारण से, इसे समाज के हित में अस्वीकार किया जा सकता है;

दिखाया जा रहा है। [.....]

7. नियम 4 (4) को नंगे पढ़ने से संकेत मिलता है कि जारी किया जा सकता है अस्वीकार कर दिया जब उसी की सिफारिश नहीं की जाती है

ग्रेटर बॉम्बे और अन्य जगहों पर पुलिस आयुक्त, सार्वजनिक शांति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

और शांति।"

(जोर दिया गया)

17. सुरेश दरवाकड़ (ऊपर) मामले में, अदालत ने पैरोल को अलग कर दिया

रोम फर्लो। जबकि पैरोल और फर्लो दोनों अस्थायी रिहाई हैं।कारावास, पैरोल केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी जाती है। एक कैदी

न्यूनतम वर्षों की सेवा करने के बाद फ़र्लो के लिए आवेदन करने का हकदार है

एफ नियम 3 में निर्धारित वाक्य।

18. जमानत, छुट्टी और पैरोल के बीच का अंतर भी था

हरियाणा राज्य बनाम में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया। मोहिंदर सिंह "1. न्यायमूर्ति डी. पी. वाधवा ने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट 1988 और पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट 1962 का हवाला देते हुए कहा कि

" 17. " फर्लो "और" पैरोल "अब दो अलग-अलग शब्द हैं।

जेल नियमावली या अस्थायी रिहाई से संबंधित कानूनों में उपयोग किया जाता है

कैदी। इन दोनों शब्दों ने अलग-अलग अर्थ प्राप्त किए हैं।

विभिन्न परिणामों के साथ कानून। शब्दकोश के अर्थ, इसलिए,

वे बहुत उपयोगी नहीं हैं। इस संबंध में हम उल्लेख कर सकते हैं

हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988

जिसने पंजाब के अच्छे आचरण वाले कैदियों को निरस्त कर दिया है

(अस्थायी विमोचन) अधिनियम, 1962। पंजाब अधिनियम पहले था

हरियाणा राज्य में लागू। दोनों अधिनियमों की भाषा

समान है और किसी भी धारा की धारा 3 और 4 का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है।

पैरोल और पैरोल के बीच के अंतर को समझने के लिए ये दोनों अधिनियम

फ़र्लो: [.....]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जब कोई कैदी पैरोल पर होता है तो उसका

रिलीज की अवधि कुल अवधि की ओर नहीं गिना जाता है

सजा के दौरान जब वह छुट्टी पर होता है तो वह रिहाई की अवधि को अपनी सजा की कुल अवधि में गिनने का पात्र होता है।

उससे गुज़ारा। ”

19. असफ़ाक वी. राजस्थान राज्य 12 1 2, न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, बोलते हुए

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि:

" 11. पैरोल और फर्लो के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। ए.

पैरोल को कैदियों की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अर्थात एक कैदी की जल्दी रिहाई, अच्छे व्यवहार पर सशर्त और एक निर्धारित अवधि के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से रिपोर्ट करना। इसे सशर्त क्षमा के एक रूप के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा दोषी को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार, पैरोल को अच्छे व्यवहार के लिए इस शर्त पर दिया जाता है कि पैरोलधारी नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करता है। पैरोल पर कैदी की ऐसी रिहाई भी अस्थायी रूप से हो सकती है।

कुछ बुनियादी आधारों पर। उस स्थिति में, इसे कुछ समय के लिए सजा के निलंबन के रूप में माना जाना चाहिए, अक्षुण्ण वाक्य की मात्रा। पैरोल पर रिहाई कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं में कैदियों को कुछ राहत देने के लिए बनाई गई है।

[.....]

कैदियों द्वारा फर्लो पर बिताई गई सजा की अवधि की आवश्यकता होती है उसके द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जैसा कि पैरोल के मामले में किया जाता है। फर्लो को एक अच्छे आचरण छूट के रूप में दिया जाता है।

पैरोल और फर्लो के बीच के अंतर का सारांश देते हुए, कोर्ट I ने कहा कि

“ 16. [...]

(i) पैरोल और फर्लो दोनों सशर्त रिहाई हैं।

((ii) अल्पकालिक कारावास के मामले में पैरोल दिया जा सकता है जबकि फर्लो में यह दीर्घकालिक कारावास के मामले में दिया जाता है।

(iii) पैरोल की अवधि एक महीने तक बढ़ जाती है जबकि मामले में

फर्लो की अवधि अधिकतम चौदह दिनों तक होती है।

7) 15 एस. सी. सी. 55 ए. टी. ई. ऑफ गुजरात एंड ए. एन. आर. वी. नारायण @नारायण साई @आइओटा भगवान [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(iv) डिवीजनल कमिश्नर द्वारा पैरोल दिया जाता है और जेल उप महानिरीक्षक द्वारा फर्लो दिया जाता है।

(v) पैरोल के लिए, विशिष्ट कारण की आवश्यकता होती है, जबकि फर्लो है

कारावास की एकरसता को तोड़ने के लिए।

(vi) कारावास की अवधि पैरोल की अवधि की गणना में शामिल नहीं है, जबकि यह फर्लो में इसके विपरीत है।

(vii) पैरोल कई बार दिया जा सकता है जबकि

फर्लो के मामले में सीमा। (viii) चूंकि फर्लो किसी विशेष कारण से नहीं दिया जाता है, इसलिए यह

समाज के हित में इनकार किया जा सकता है।

(महाराष्ट्र राज्य बनाम देखें। सुरेश पांडुरंग द्वारवकर [महाराष्ट्र राज्य बनाम। सुरेश पांडुरंग दरवाकड़ (2006) 4 एस. सी. सी. 776: (2006) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 411] और राज्य

हरियाणा बनाम. मोहिंदर सिंह [हरियाणा राज्य बनाम। मोहिंदर सिंह (2000) 3 एस. सी. सी. 394: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 645]।

एक ओर पैरोल और दूसरी ओर फर्लो के उद्देश्य पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने पैरोल या फर्लो देते समय दो प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता का संकेत दिया-एक ओर दोषी को रिहा करना और दूसरी ओर सार्वजनिक उद्देश्य और हित:

" 19. पैरोल या फर्लो देने में उपरोक्त सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सजा के सुधार सिद्धांत में निहित, अन्य प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जब यह तय किया जाए कि किसी विशेष मामले में पैरोल या फर्लो दिया जाना है या नहीं।

या नहीं। यह जनहित यह भी माँग करता है कि जो हैं

आदतन अपराधी और करने की प्रवृत्ति हो सकती है पैरोल पर रिहा होने के बाद फिर से अपराध

कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बनने की प्रवृत्ति

दोषसिद्धि के बाद सड़क पर वापस। इसलिए, के रूप में निर्णय लेते समय चाहे कोई विशेष कैदी पैरोल पर रिहा होने का हकदार हो या नहीं, उपरोक्त पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसे संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, अधिकारियों को इस प्रश्न को [2021] 10 एस. सी. आर. के रूप में संबोधित करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या दोषी ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रवृत्ति है

ऐसा अपराध करना या वह खुद को सुधारने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। एक अच्छा नागरिक बनना।

20. इस प्रकार, जेल में सभी लोग अनुदान के लिए उपयुक्त नहीं हैं फर्लो या पैरोल। जाहिर है, समाज को दिखाने वालों को अलग-थलग करना चाहिए

पीड़ितों पर शिकार करने के तरीके। फिर भी प्रशासकों को करना चाहिए

उन अपराधियों को प्रोत्साहित करें जो प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करें और जिनके व्यवहार से पता चलता है कि वे आकांक्षा रखते हैं

कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में जीना। इस प्रकार, पैरोल कार्यक्रम होना चाहिए इस तरह के समायोजन को आकार देने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है।

(जोर दिया गया)

20. सिद्धांतों को व्यापक, सामान्य शब्दों में तैयार किया जा सकता है।

इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कि पैरोल और फर्लो के लिए शासी नियमों को प्रत्येक संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए। सिद्धांत इस प्रकार हैं:

फर्लो और पैरोल में एक अल्पकालिक अस्थायी रिहाई की परिकल्पना की गई है

((i)

अभिरक्षा से;

((ख)

जबकि कैदी को एक विशिष्ट व्यक्ति से मिलने के लिए पैरोल दी जाती है। आवश्यकता, फर्लो एक निर्धारित संख्या के बाद दिया जा सकता है

बिना किसी कारण के वर्षों की सेवा की गई है;

(iii)

फर्लो का अनुदान एकरूपता को तोड़ना है

कारावास और दोषी को निरंतरता बनाए रखने में सक्षम बनाना

पारिवारिक जीवन और समाज के साथ एकीकरण के साथ;

((iv) यद्यपि फर्लो का दावा बिना किसी कारण के किया जा सकता है,

कैदी को दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है

फरलो;

(v)

फर्लो का अनुदान जनता के खिलाफ संतुलित होना चाहिए

ब्याज और कुछ श्रेणियों के लिए अस्वीकार किया जा सकता है

कैदी।

21. प्रत्यर्थी का फर्लो आवेदन खारिज कर दिया गया था

8 मई 2021 के एक आदेश द्वारा डी. जी. पी. डी. जी. पी. ने निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर फर्लो देने से इनकार करने के लिए ए. सी. पी., डी. सी. पी. और जेल अधीक्षक की समवर्ती राय पर भरोसा किया:

((i)

उन अपराधों की गंभीरता जो प्रत्यर्थी ने किए हैं धारा 376 (2) (सी), 377,354,504 सहित,

506 (2) , 508 आई. पी. सी. का; गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

वी. नारायण @NARAYAN साई @मोता भगवान [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विचारण के दौरान प्रत्यर्थी का आपराधिक दुराचार,

((ख)

जिसमें सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास शामिल है; प्रतिवादी के अनुयायियों द्वारा गवाहों को धमकी देना, उन पर हमला करना और उनकी हत्या करना; पुलिस अधिकारियों और पुलिस निरीक्षकों को धमकी देना।

आयकर विभाग;

(111) अपराध करने के इच्छुक प्रतिवादी का सामूहिक अनुसरण

प्रत्यर्थी के उदाहरण पर; और

(iv) हिरासत में रहते हुए अवैध गतिविधियाँ, जैसे कि मोबाइल फोन रखना और बाहरी लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना।

22. प्रतिवादी ने इन आरोपों का इस आधार पर खंडन किया है कि वर्तमान मामले के अलावा वह दो अन्य मामलों में आरोपी है।

23. डी. जी. पी. ने फर्लो छुट्टी आवेदन को खारिज करने के लिए नियमों के नियम 4 (4), 4 (6) और 4 (10) को लागू किया है। नियमों के नियम 4 (4) में प्रावधान है कि जिन कैदियों की रिहाई की पुलिस आयुक्त द्वारा सार्वजनिक शांति और शांति के आधार पर सिफारिश नहीं की जाती है, उन्हें फर्लो के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। नियम 4 (6) में फर्लो छुट्टी की अस्वीकृति का प्रावधान है जहां कैदी का आचरण संतोषजनक नहीं है और नियम 4 (10) में प्रावधान है कि जो कैदी भाग गए हैं, या कानूनी हिरासत से भागने का प्रयास किया है या आत्मसमर्पण करने में चूक की है, वे फर्लो के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं।

24. अभिलेख से यह नहीं पता चलता है कि प्रतिवादी ने वैध अभिरक्षा से बचने का कोई प्रयास किया है। फर्लो देने के बाद

दिसंबर 2020 और 31 जनवरी 2021 से 3 फरवरी तक अंतरिम जमानत 2021 , प्रत्यर्थी ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को छुट्टी देने से इनकार करने के लिए नियमों के नियम 4 (10) पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

25. अब नियमों के नियम 4 (6) की ओर रुख करते हुए, जेल अधीक्षक ने इस तथ्य के आधार पर एक नकारात्मक राय दी है कि प्रतिवादी ने रखा

जेल के अंदर एक मोबाइल फोन अवैध रूप से और संपर्क करने का प्रयास किया [2021] 10 एस. सी. आर.

बाहरी दुनिया के साथ। नियमों के नियम 4 (4) में सार्वजनिक शांति और शांति को बाधित करने के आधार पर छुट्टी से इनकार करने का प्रावधान है। 8 मई 2021 के आदेश में कई परिस्थितियों को जोड़ा गया है जो संचयी रूप से इंगित करते हैं कि प्रतिवादी को छुट्टी पर रिहा किया जा सकता है।

शांति। मुकदमे के दौरान सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया गया है। मुकदमे के बाद जेल में आचरण को निंदा से ऊपर नहीं दिखाया गया है। प्रतिवादी को इस साल की शुरुआत में रिहा कर दिया गया था उपयुक्त समय पर अपनी माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करने की वास्तविक आवश्यकता को समायोजित करें। इसके आधार पर हम उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

26. यह आग्रह किया गया है कि 8 मई 2021 के आदेश में उल्लिखित आपत्तियों को अधिकारियों द्वारा दिसंबर 2020 में फर्लो देने के लिए उठाया गया था, जिसके बावजूद उच्च न्यायालय ने फर्लो के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया। हम इस प्रस्तुति में योग्यता नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय के पिछले आदेश में इन दलीलों पर विचार नहीं किया गया था। आदेश में केवल इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी की माँ इसके कारण पीड़ित थी दिल का दौरा पड़ा और इस आधार पर छुट्टी दे दी गई। सॉलिसिटर जनरल ने वास्तव में कहा कि पहले की कार्यवाही को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी क्योंकि उस समय फर्लो का आधार प्रतिवादी की मां का अस्वस्थ स्वास्थ्य था। नियमों के तहत मंजूरी देने वाले प्राधिकरण की राय विकृति से ग्रस्त नहीं है और न ही यह फर्लो के अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों के लिए सामग्री को बाहरी मानता है।

27. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और 24 जून 2021 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

28. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई।